कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम भरतपुर

क्रमांक जिशिअ/भरत/मा0प्रथम/लेखा/2017–18/235-38 दिनांक: 10/11/2017

संस्था प्रधान
राउमावि/राबाउमावि............................

विषयः– सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत वेतन स्थिरीकरण करने के क्रम में।
प्रसंगः– निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के पत्रांक शिविरा/माध्य/स्थिरी –अ/34851/2017 दिनांक 03.11.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्त विभाग के आदेश एफ.15(1)/एफ.डी. /रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.17 राजस्थान सिविल सेवा(संशोधित) वेतनमान रूल्स/2017 दिनांक 01.10.17 में वेतन स्थिरीकरण करने से पूर्व वित्त विभाग एवं निदेशालय द्वारा यथा समय–समय जारी निर्देशों की पालना हेतु निम्न कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैः–

1. कार्मिक को दिनांक 30.09.17 तक देय चयनित वेतनमान एवं पूर्व के वेतनमानों में वेतन स्थिरीकारण कराया जाकर वेतन निर्धारण कराया जाना ।
2. दिनांक 30.09.17 तक सेवा सत्यापन किया जा कर अनुक्रमांक(Numbering) तथा सेवापुस्तिका के प्रत्येक पेज पर अनुक्रमांक(Numbering) अंकित किया जाना।
3. चयनित वेतनमान, वेतन स्थिरीकरण एवं अन्य कारणों से निर्धारित वसूली के जमा होने का सेवा पुस्तिका में चालान, दिनांक व राशि का अंकन(नोट) किया जाना।
4. पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के तहत विकल्प पत्र प्राप्त कर सेवापुस्तिका में चस्पा कर प्रमाण पत्र अंकित किया जाना तथा विकल्प पंजिका संधारण करना।
5. दिनांक 01.01.06 के बाद नियुक्त कार्मिको को परीवीक्षाधीन अवधि पूर्ण करने के पश्चात पद की ग्रेड पे पर देय न्यूनतम वेतन को आदेश दिनांक 28.06.13 के नियम 22 शेड्यूल 5 के परिशिष्ट (ए से ई) के अनुसार निर्धारित वेतन वित्त विभाग के आदेश दिनांक 30.10.17 की अनुपालना में संशोधन की कार्यवाही किया जाना।
6. सेवा पुस्तिकाओं में पाई जाने वाली निम्न सामान्य अनियमितताओं की कार्यालय/विद्यालय स्तर पर जॉच किया जाना।
   - बी0एड0 एवं एम0एड0 की एक/अग्रिम वेतन वृद्धि का प्रावधान दिनांक 1.7.98 से पूर्व ही देय था।
   - एसीपी की गणना का आधार पंचायत राज से नियुक्त तृतीय श्रेणी अध्यापकों चयन तिथि से ही दिये जाने का प्रावधान है।
   - परिनिन्दा के दण्ड एसीपी/चयनित वेतनमान देय तिथि से 01 वर्ष पश्चात् तथा संचयी/असंचयी वेतन वृद्धि रोके जाने के दण्ड से जितने वर्ष की वेतन वृद्धि

www.rajteachers.com

रोकी गयी उतने वर्ष की एसीपी/चयनित वेतनमान की देय तिथी में जोडे जाकर लाभ दिये की सुनिश्चितता करना।

- पदौन्नति परित्याग की स्थिति में सेवा पुस्तिका में इन्द्राज अपेक्षित होने के साथ–साथ एसीपी/चयनित वेतनमान की देय तिथि में परित्याग की अवधि को जोडकर लाभ दिया हुआ है या नहीं।
- अनुकम्पा नियुक्ति मृतराज आश्रित कर्मचारी को टंकण परीक्षा उत्तीर्ण का सेवा पुस्तिका में इन्द्राज व प्रमाणीकरण अपेक्षित हैं।
- परीवीक्षाधीन (दो वर्ष की अवधि में) नियुक्त कार्मिक को उपार्जित/परिवर्तित अवकाश का लाभ देय नहीं हैं। चाहे कार्मिक पूर्व से सेवारत हों।
- नॉमिनेशन फॉर्म (जीए 126) का सेवा पुस्तिका में चस्पा करना।

7. निम्नानुसार संस्थाप्रधानों द्वारा विकल्प पत्र संधारण हेतु रजिस्टर तैयार करना

कार्यालय ....

क्र0सं0	कार्मिक का नाम	पद	विकल्प प्रस्तुत करने की दिनांक	सातवें वेतन में विकल्पित दिनांक	विद्यमान वेतन व ग्रेड पे	संशोधित वेतन

आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार सेवा अभिलेखो को पूर्ण कराया जाकर वेतन स्थिरीकरण हेतु निर्धारित प्रपत्र तीन प्रतियो में तैयार कराया जाकर स्थिरीकरण दल के समक्ष प्रस्तुत करें।

10/11/17

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम भरतपुर

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान निदेशक महोदय, मा0शि0 राजस्थान बीकानेर।
2. श्रीमान वित्तीय सलाहकार महोदय, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
3. श्रीमान उपनिदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा भरतपुर संभाग भरतपुर।

10/11/17

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम भरतपुर

www.rajteachers.com